# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## गुरूवार, दिनांक 31 जुलाई, 2025 (श्रावण 9, शक संवत् 1947)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

### 1. विशेष उल्लेख

#### उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती एवं श्री भैरो सिंह (बापू) सदस्य के जन्मदिवस पर बधाई संबंधी

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि आज हिन्दी के महान कथाकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है. उन्होंने गोदान, गबन, सेवासदन जैसे कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे थे. उनके कार्यों में आम आदमी की समस्याओं और भावनाओं को दर्शाया गया है. यह सदन मुंशी प्रेमचंद जी के प्रति आदर प्रकट करता है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भैरो सिंह (बापू) सदस्य के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गई.

### 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 147 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 153 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

### 3. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

| | |
|---|---|
| (1) | श्री सुरेश राजे, सदस्य ने डबरा में कन्या महाविद्यालय खोलने बावत् । |
| (2) | श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 23 करैरा में हर्सी बांध से निकले पानी के कारण मार्ग बंद होने के संबंध में । |
| (3) | श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य ने नगर निगम भोपाल द्वारा हाऊसिंग फार ऑल अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाये गये फ्लेट एवं शॉपिग कॉम्पलेक्स की हालत बदहाल होना । |
| (4) | श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में गौ शालाओं में देखरेख न होने से गौवंश की मौत होना । |
| (5) | श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते नहरों, झरनों, नदियों की पुलियाओं पर चेतावनी संकेतक लगाया जाना । |
| (6) | श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य ने प्रदेश में डी.ए.पी.यूरिया सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों की भारी कमी होना । |
| (7) | डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा सीतामऊ रोड़ पर निर्माणाधीन तीन ब्रिजों के निर्माण में विलंब से हो रही असुविधा । |
| (8) | इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरयावली में सांदीपनी विद्यालय का भवन निर्माण अतिशीघ्र कराये जाना । |
| (9) | श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने मध्यप्रदेश में सर्राफा व्यापारियों को शस्त्र लाईसेंस प्रदान किये जाने के संबंध में एवं |
| (10) | डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में संचालित थैरेपी सेंटर, वेलनेस सेंटर एवं मसाज सेंटर के संचालन में स्पष्ट नियमों का पालन न किये जाने के संबंध में । |
| | संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं. |

### 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त)** द्वारा

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश में उर्वरक के प्रबंधन एवं वितरण पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन 2025 का प्रतिवेदन संख्या-1 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल),

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन 2025 का प्रतिवेदन संख्या-2 (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल), एवं

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-3 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन), तथा

(ख) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक समेकित संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखे गए.

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2022-23 एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गये.

(3) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

## 5. ध्यानाकर्षण

(1) **सर्वश्री उमंग सिंघार, फूल सिंह बरैया, जयवर्द्धन सिंह, सदस्यों** ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

## 6. गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए, नारेबाजी की एवं बहिर्गमन किया.

## 7. विशेष उल्लेख

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री द्वारा सदन को सूचना दी गई कि मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एन.आई.ए. कोर्ट का फैसला आया है कि जिन-जिन पर भी हिन्दू आतंकवाद को लेकर आरोप लगाये गये थे उन सभी को बरी कर दिया गया है. इस फैसले ने साबित कर दिया है कि देश में हिन्दू आतंकवाद जैसी कोई धारणा न थी, न है और न रहेगी.

## 8. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य** ने पन्ना जिले में राजस्व एवं वन विभाग की सीमाओं का निराकरण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री कैलाश विजयवर्गीय सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

## 9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

**इंजीनियर प्रदीप लारिया,सभापति** द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार,दिनांक 1 अगस्त,2025 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

| अशासकीय संकल्प | शुक्रवार दिनांक 1 अगस्त 2025 | निर्धारित समय |
|---|---|---|
| 1. (क्रमांक-01) | श्री संजय सत्येन्द्र पाठक | 30 मिनट |
| 2. (क्रमांक-09) | श्रीमती अर्चना चिटनीस | 30 मिनट |
| 3. (क्रमांक-14) | श्री गोपाल सिंह इंजीनियर | 30 मिनट |
| 4. (क्रमांक-24) | डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह | 30 मिनट |

इंजीनियर प्रदीप लारिया ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंचम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 5 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा तद्नुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) **श्री सोहनलाल बाल्मीक** (जिला-छिन्दवाड़ा)
(2) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक** (जिला-कटनी)
(3) **श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक** (जिला-दमोह)
(4) **श्री पन्नालाल शाक्य** (जिला-गुना)
(5) **श्री केदार चिडाभाई डावर** (जिला-खरगोन)
(6) **डॉ. हिरालाल अलावा** (जिला-धार)
(7) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी** (जिला-खरगोन)
(8) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन** (जिला-सागर)
(9) **श्री वीरसिंह भूरिया** (जिला-झाबुआ)
(10) **श्री मोहन शर्मा** (जिला-राजगढ़)
(11) **डॉ. सतीश सिकरवार** (जिला-ग्वालियर)
(12) **श्री मुरली भँवरा** (जिला-देवास)
(13) **श्री अभय मिश्रा** (जिला-रीवा)
(14) **श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया** (जिला-नरसिंहपुर)
(15) **श्री प्रताप ग्रेवाल** (जिला-धार)
(16) **श्री विपीन जैन** (जिला-मंदसौर)
(17) **श्री हजारीलाल दांगी** (जिला-राजगढ़)
(18) **श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव** (जिला-खरगोन)
(19) **श्री श्याम बरडे** (जिला-बड़वानी)
(20) **श्री अमर सिंह यादव** (जिला-राजगढ़)
(21) **श्रीमती सेना महेश पटेल** (जिला-अलीराजपुर)
(22) **श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी** (जिला-मैहर)
(23) **श्री बिसाहूलाल सिंह** (जिला-अनूपपुर)
(24) **श्री प्रहलाद लोधी** (जिला-पन्ना)
(25) **श्री अनिल जैन** (जिला-निवाड़ी)
(26) **श्री रजनीश हरवंश सिंह** (जिला-सिवनी)
(27) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह** (जिला-पन्ना)
(28) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय** (जिला-रतलाम)
(29) **श्री भैरो सिंह बापू** (जिला-आगर मालवा)
(30) **श्रीमती अनुभा मुंजारे** (जिला-बालाघाट)
(31) **श्री कमलेश्वर डोडियार** (जिला-रतलाम)
(32) **श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार** (जिला-मुरैना
(33) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर** (जिला-टीकमगढ़)
(34) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे** (जिला-भिण्ड)
(35) **श्री मधु भगत** (जिला-बालाघाट)
(36) **श्री दिनेश जैन बोस** (जिला-उज्जैन)
(37) **श्री फूलसिंह बरैया** (जिला-दतिया)
(38) **श्री राजेन्द्र भारती** (जिला-दतिया)
(39) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर** (जिला-सीहोर)
(40) **श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा** (जिला-नर्मदापुरम्)
(41) **श्री प्रदीप अग्रवाल** (जिला-दतिया)
(42) **श्री रमेश प्रसाद खटीक** (जिला-शिवपुरी)
(43) **श्री देवेन्द्र पटेल** (जिला-रायसेन)
(44) **श्री दिलीप सिंह परिहार** (जिला-नीमच)
(45) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर** (जिला-टीकमगढ़)
(46) **श्री मोंटू सोलंकी** (जिला-बड़वानी)

(47) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(48) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(49) इंजीनियर प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(50) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(51) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(52) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(53) श्री महेंद्र रामसिंह यादव (जिला-शिवपुरी)
(54) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(55) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
(56) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(57) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(58) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(59) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(60) श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-भोपाल)
(61) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(62) श्री कालु सिंह ठाकुर (जिला-धार)
(63) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(64) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(65) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(66) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-खंडवा)
(67) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मण्डला)
(68) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)

## 11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) को पुर:स्थापित किया.

(2) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री विजय रेवनाथ चौरे

**सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी) पीठासीन हुई.**

**(अपराह्न 1.30 बजे से 3.06 बजे तक अंतराल)**

**अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.**

2. श्री दिनेश जैन बोस
3. डॉ. हिरालाल अलावा
4. श्री राजेन्द्र मेश्राम
5. श्री ओमकार सिंह मरकाम
6. श्री बाला बच्चन
7. श्री गौरव सिंह पारधी

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया कि- खण्ड 3, 5 एवं 8 में इस प्रकार संशोधन किया जाए अर्थात्

खण्ड-3 में उपखण्ड (एक) (दो) तथा (तीन) का लोप किया जाए.
खण्ड-5 में उपखण्ड (एक) तथा (दो) का लोप किया जाए.
खण्ड-8 में उपखण्ड (एक) तथा (दो) का लोप किया जाए.

संशोधन अस्वीकृत हुए.

## 12. बहिर्गमन.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक के विरोध में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

## 13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 10 तक इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

## 14. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुर्नग्रहण

प्रदेश में लगातार कम होते भू-जल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत् समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

12. श्री जय सिंह मरावी

**सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.**

13. श्री घनश्याम चंद्रवंशी
14. श्री फूलसिंह बरैया
15. श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे
16. श्री अनिरूद्ध माधव मारू
17. श्री लखन घनघोरिया
18. डॉ. अभिलाष पाण्डेय
19. श्रीमती अर्चना चिटनिस

## 15. अध्यक्षीय घोषणा.

### सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 139 पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

## 16. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

20. श्री दिलीप सिंह परिहार
21. श्री रामनिवास शाह
22. श्री रजनीश हरवंश सिंह
23. श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
24. श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत)

## 17. वक्तव्य

**श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री** ने अति वृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के संबंध में वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

## 18. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

25. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
26. श्री उमंग सिंघार

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया.

**(चर्चा अपूर्ण)**

अपराह्न 07.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2025 (श्रावण 10, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**अवधेश प्रताप सिंह,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल**
**दिनांक : 31 जुलाई, 2025**